कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.भूप्रआ / समु / आरआर / 11 / 2 / 2 / 99–2000 / जयपुर, दिनांकः

भू–प्रबन्ध अधिकारी
भरतपुर

विषयः– तहसील वैर जिला भरतपुर की बन्द की अधिसूचना भिजवाने बाबत।
संदर्भः– राजस्व (ग्रुप–1) विभाग का पत्रांक प.13(15)राज. / ग्रुप–1 / 2010 / पार्ट दिनांक 21.02.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी तहसील वैर, जिला भरतपुर के ग्रामों की बन्द की अधिसूचना धारा–106, 107 एवं 108 दिनांक 21.02.2017 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख 15 दिवस में जिला कलक्टर को सुपुर्द कर सूचना मुख्यालय को भिजवावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

Sd/-
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति. भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प. / समसंख्यक / 664 जयपुर, दिनांकः 09/3/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. प्रभारी, डीआईएलआरएमपी प्रकोष्ठ, मुख्य कार्यालय, राजस्थान, जयपुर

Sd/-
अति. भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

Mathur

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांक प0 13(15)राज.1/2010 पार्ट — जयपुर, दिनांक 21 FEB 2017

Sm
1/3/17

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 106 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील वैर, जिला भरतपुर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना कमांक प0 13(16)राज–1/2002 दिनांक 02.12.2002 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के 162 ग्रामों में से 156 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्व में अधिसूचना कमांक प0 13(15)राज–1/2010 दिनांक 28.10.2010, 24.12.2012 एवं 09.12.2015 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से 03 ग्राम भुसावर प्रथम, भुसावर द्वितीय, छोंकरवाडा कलां में सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त 03 ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र कमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/2/99–2000/3889 दिनांक 09.11.2016 के कम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग
राज.,
पत्र–प्राप्ति
02 MAR 2017
165
क्रमांक ....

RR
2/3/2017

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प0 13(15)राज.1/2010, पार्ट — जयपुर, दिनांक 21 FEB 2

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील वैर, जिला भरतपुर के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का पुनः निरीक्षण का कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(16)राज–1/2002 दिनांक 02.12.2002 से प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के 162 ग्रामों में से 156 ग्रामों में अभिलेखों का पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(15)राज–1/2010 दिनांक 28.10.2010, 24.12.2012 एवं 09.12.2015 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से 03 ग्रामों (धारा 106 की अधिसूचना वर्णितानुसार) के अभिलेखो का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त 03 ग्रामों के अभिलेखो का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित करते हुए अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/2/99–2000/3889 दिनांक 09.11.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग राज., जयपुर
पत्र–प्राप्ति
02 MAR 2017
क्रमांक 164

संयुक्त शासन सचिव